न्यायालय:— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क-55/2012</u> <u>संस्थित दिनांक-14.03.2012</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र चंदेरी	
जिला अशोकनगर।	अभियोजन

विरुद्ध

- 1. हनुमंत पुत्र सीताराम गुर्जर आयु 50 साल
- 2. परमाल पुत्र सीताराम गुर्जर आयु 40 साल निवासीगण ग्राम कूबगढ जिला अशोकनगर म0प्र0

..... अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 23.03.2018 को घोषित)

- 01—अभियुक्तगण के विरुद्ध भादवि की धारा 440, 323, 294, 506बी के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप है कि उन्होंने ने दिनांक 01.02.2012 को शामं 06:00 बजे ग्राम कूपगढ के हार में फरियादी के चीतन वाले खेत में फरियादी जहार सिंह को उपहित कारित करने की तैयारी के पश्चात् अपने बैल से फरियादी की गेंहू की फसल चरवाकर उसे रिष्टी कारित की एवं फरियादी जहार सिंह के साथ लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की एवं लोक स्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी जहार सिह को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—01.02.2012 को फरियादी जहार सिंह शाम को 06 बजे अपने चीतल वाले खेत पर रखवाली करने पहुचा, तो जहार सिंह ने देखा कि हनुमंत सिंह गुर्जर, जहार के खेत में लाठी लिये खडा होकर एक बैल से जहार के खेत में मेढ पर चरवा रहा था। जहार ने बैल को डंडे से भगाया, तो हनुमंत सिंह ने जहार को मादरचोद बहनचोद की बुरी बुरी गालिया दी। जहार ने कहा कि बैल को फसल चरवाकर क्यों नुकसान करवा रहा है, तो हनुमत ने एक लाठी मारी जो सीधे हाथ की हथेली पर लगी, घटना बहादुर सिंह, अजब सिंह, ने देखी। जहार गावं में आकर रिपोर्ट करने की कहने पर हनुमंत सिंह और परमाल ने उसे गालिया देकर कहा कि अगर रिपोर्ट करने

गया, जो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी जहार द्वारा दिनाक 02.02.2012 को पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध कमांक—50/2012 अंतर्गत धारा 440, 294, 323, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03:—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—23.03.2018 को फरियादी जहार सिंह द्व ारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द.प्र.स. के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्त हनुमंत और परमाल को भा.द.वि. की धारा 294, 506 एवं 323 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्तगण पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 440 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त परमाल पर विचारण किया गया।
- 04—अभियुक्तगण को उसे विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।
- 05-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्तगण दिनांक 01.02.2012 को शामं 06:00 बजे ग्राम कूपगढ के हार में फरियादी के चीतन वाले खेत में फरियादी जहार सिंह को उपहित कारित करने की तैयारी के पश्चात् अपने बैल से फरियादी की गेंहू की फसल चरवाकर उसे रिष्टी कारित की ?
 - 2. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 व 02 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये मात्र फरियादी जहार सिंह (अ०सा0—01) के कथन न्यायालय में कराये है। फरियादी जहार सिंह (अ०सा0—01) का अपने कथनों में कहना है कि अभियुक्तगण उसकी के गावंमें रहते है और उसके रिश्तेदार है, 6 वर्ष पूर्व मेढ की बात से उसका आरोपीगण से वाद विवाद हो गया था, जिसमें आरोपीगण ने उसके साथ गाली—गलौच और धक्का—मुक्की कर दी थी तथा इसके अलावा अन्य कोई घटना कारित नहीं हुई।
- 07— अभियुक्तगण ने फरियादी के खेत पर आकर विवाद मेढ की बात पर से किया था, इस संबंध में फरियादी के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना प्रदर्श—पी 01 में वर्णित घटना से मेल नही खाते है जिस पर फरियादी ने अपने हस्ताक्षर व स्वयं थूबोन चौकी पर लेखबद्ध कराना स्वीकार किया है।
- 08—अभियोजन घटना के अनुसार जब फरियादी और हनुमंत सिंह का खेत पर विवाद हुआ था, तो मौके पर परमाल नहीं था, बल्कि परमाल और हुनमंत उसे बाद में गांव में दुबारा मिले थे। वहीं अभियुक्तगण और फरियादी के बीच मेढ का कोई विवाद था तथा उक्त कारण से घटना कारित हुई इसका कोई भी कोई उल्लेख फरियादी के द्वारा दर्ज कराई गइ प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी 01 एवं पुलिस को दिये गये कथन प्रदर्श—पी 02 में नही है। अतः घटना स्थल के खेत पर परमाल की उपस्थिति एवं घटना घटित होने के संबंध में फरियादी जहार सिंह (अ0सा0—01) के न्यायालीन कथनों में एवं पुलिस को दिये गये कथन प्रदर्श—पी 02 व दर्ज कराई गई रिपोर्ट प्रदर्श—पी 01 में स्पष्ट विरोधाभास देखा जा सकता है।
- 09— जहार सिंह (अ0सा0—01) ने अपने मुख्य परीक्षण में मात्र मेढ के विवाद पर से अभियुक्तगण के द्वारा धक्का मुक्की व गाली—गलौच करना अपने कथनों में बताया है तथा फरियादी का यह कहना है कि इसके अलावा कोई घटना नही हुई। फरियादी ने अपने मुख्यपरीक्षण में ऐसी कोई घटना का उल्लेख नही किया है कि अभियुक्त हनुमंत सिंह एवं परमाल सिंह के द्वारा लाठी लेकर अपने बैल से फरियादी का खेत चरवाने पर से विवाद हुआ हो, जिसके आरोप

अभियुक्तगण पर है। आरोपित अपराध के संबंध में जहार सिंह (अ०सा0–01) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियोजन ने जहार सिंह (अ०सा0–01) को पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया है, परन्तु

फरियादी ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नही दिये है।

(4)

- 10— जहार सिंह (अ0सा0—01) ने इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है कि आरोपीगण ने खेत में खडी गेंहू की फसल अपने बैल से चरवा कर उसको नुकसान पहुंचाया था। फरियादी ने इस बात का भी खण्डन किया है कि इसी बात पर आरोपीगण ने गाली—गलौच व मारपीट की थी। जहार सिंह (अ0सा0—01) आरोपीगण के द्वारा खेत में बैल से उसकी फसल चराने जैसी घटना पुलिस को प्रदर्श—पी 01 की रिपोर्ट में लेख न कराना बताता है तथा उसका कहना है कि उसने पुलिस को इस संबंध में कोई कथन भी नही दिये। फरियादी इस बात का खण्डन करता है कि फसल चरने से उसको 100/— रूपये का नुकसान हुआ था।
- 11— अतः जहार सिंह (अ०सा०—०1) जो कि घटना में स्वयं पीडित है, अभियोजन के द्वारा बताया गया है, स्वयं ही जब इस बात का खण्डन करता है कि अभियुक्तगण ने बैल से उसकी फसलों को चरवाकर उसे नुकसान कारित किया, वहां आरोपित अपराध के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो कि संभवतः प्रकरण में हुये राजीनामें का परिणाम प्रकट होती है। फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 01.02.2012 को शामं 06:00 बजे ग्राम कूपगढ के हार में फरियादी के चीतन वाले खेत में फरियादी जहार सिंह को उपहित कारित करने की तैयारी के पश्चात् अपने बैल से फरियादी की गेंहू की फसल चरवाकर उसे रिष्टी कारित की
- 12— फलतः अभियुक्तगण हनुमंत पुत्र सीताराम गुर्जर, परमाल पुत्र सीताराम गुर्जर को भा.द.वि. की धारा 440 के आरोप प्रमाणित न होने से उसे भा.द.वि. की धारा 440 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 13—अभियुक्तगण का धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

(5) <u>दांडिक प्रकरण क.-55/2012</u>

प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)